सोशल आडिट निदेशालय

(उ0प्र0 सोशल आडिट संगठन के अधीन)
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ–226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांकः 779 / सो.आ.नि.–318(II) / 2017
दिनाँकः 27 मार्च, 2018

प्रेषक,

निदेशक
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, तथा कासगंज को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

विषयः जनपदों में सोशल आडिट हेतु ग्राम सभा की फोटोग्राफी कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निदेशालय के पत्र संख्या–734 / सो0आ0नि0–318(II) / 2017, दिनांक 05 मार्च, 2018, संख्या–697 / सो0आ0नि0–318(II) / 2017, दिनांक 22 फरवरी, 2018 एवं 598 / सो0आ0नि0–318(II) / 2017, दिनांक 02 जनवरी, 2018 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जारी किए गए सोशल आडिट कैलेण्डर के अनुसार जनपदों में सोशल आडिट किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में वीडियोग्राफी की जगह फोटोग्राफी कराई जानी है। सोशल आडिट के दौरान ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से निम्नांकित 03 स्तरों की फोटोग्राफी कराते हुए प्रिन्ट लिए जाने हैं, जिसके लिए प्रति ग्राम सभा अधिकतम रु0 200 / – अनुमन्य हैः–

01. सोशल आडिट टीम द्वारा डोर टू डोर सर्वे के समय।
02. सोशल आडिट टीम द्वारा कार्यों के सत्यापन के समय।
03. सोशल आडिट ग्राम सभा बैठक (जिसमें अधिक से अधिक ग्रामीणजन हों, ऐसे फोटो।

उक्त फोटोग्राफ जिला विकास अधिकारी, कार्यालय में रिपोर्ट के साथ सुरक्षित रखे जाएंगें।

अतः अनुरोध है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जारी किए गए कैलेण्डर के अनुसार ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट कराते हुए फोटोग्राफी भी अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजवर्धन)
निदेशक